# FORM N0. III

## फर्द अहकाम

## (नियम–26)

**अज अदालत संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर**
**मूलचंद शर्मा बनाम राज. सरकार जरिये तहसीलदार मकराना**
**किस्म मुकदम/अपील एलआर–75/नं.433/सन् 2020 RAA नागौर**

| तारीख हुक्म | हुक्म व कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>(2020/00433)<br><br>प्रार्थी अधिवक्ता : श्री जसराज जयपाल व अशोक दायमा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15.02.2021 | पत्रावली आज अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.02.2021 वास्ते अपील वापिस लिये जाने के आधार पर पेश हुई। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 12.05.2021 नियत है। अपीलार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी अधिवक्ता को सुना गया जिनके द्वारा कमोबेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया गया कि प्रार्थी मूलंचद द्वारा यह अपील वास्ते रास्ता जो दिनांक 17.04.2017 के आदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनकल्याण पंचायत शिविर के दौरान स्वीकार किया गया और उसमें प्रार्थी की 0–11–0 (11 बिस्वा) भूमि उसके खातेदारी खसरा न. 202 में रास्तें में जाना दर्शाया गया है वह प्रार्थी/अपीलार्थी स्वीकार करता है। यह दोनों पक्षों के बीच राजीनामा में तय किया गया है। दोनों पक्षकारों के बीच जो राजीनामा हुआ है उसकी प्रतिलिपि साथ में संलग्न है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी को अपनी अपील विड्रा करने की अनुमति प्रदान की जावे।<br><br>प्रार्थी/अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन व पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड तथा विड्रो प्रार्थना पत्र दिनांकित 12.02.2021 व इसके संलग्न राजीनामे का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/अपीलार्थी का विड्रो प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी विड्रो के आधार पर इसी स्तर पर खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।<br><br>(डॉ. वीना प्रधान)<br>संभागीय आयुक्त,<br>अजमेर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Veena Pradhan
Date: 2021.04.09 12:51:22 IST
Reason: SelfAttested